

## परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नैनीसौण कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हेसिविल वन भूमि, 0.350 हेठो वन पंचायत भूमि, 5.320 हेठो आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हेठो कुल भूमि 6.450 हेसिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० कहस्तान्तरण प्रस्ताव।

## धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं हैं तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

